अष्टादश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–104(3) के अन्तर्गत दिनांक–22.07.2026 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री कुमार सर्वजीत, स०वि०स०	विश्वसनीय वैज्ञानिक अध्ययनों एवं प्रकाशित खबरों के अनुसार पटना एवं आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषित नालों के जल से उगाई गई सब्जियाँ बाजारों में बेची जा रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के अध्ययन में सब्जियों में शीशा एवं कैडमियम जैसी विषैली भारी धातुओं की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई है। साथ ही अधिक उत्पादन की होड़ में मानक से अधिक रासायनिक उर्वरकों, प्रतिबंधित किटनाशकों तथा अनुमान्य सीमा से अधिक कृषि रसायनों के उपयोग की भी गंभीर आशंकाएँ व्यक्त की गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य प्रतिष्ठित शोध संस्थानों ने ऐसे प्रदूषित खाद्य पदार्थों के दीर्घकालिन सेवन से कैंसर, किडनी एवं लिवर संबंधी गंभीर रोगों तथा प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रतिकुल प्रभाव की चेतावनी दी है। चिंताजनक तथ्य यह है कि इस विषय पर प्रभावी निगरानी, नियमित परीक्षण तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की व्यवस्था अपेक्षित स्तर पर उपलब्ध नहीं है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह स्थिति व्यापक जनस्वास्थ्य संकट का रूप ले लेगी। अतः मैं प्रदूषित जल एंव प्रतिबंधित कृषि–रसायनों के उपयोग पर रोक तथा प्रभावी निगरानी एवं दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	कृषि विभाग

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री मंजीत कुमार सिंह स०वि०स० श्री मनीष कुमार स०वि०स० श्री माधव आनंद स०वि०स० श्री सुधांशु शेखर स०वि०स० श्री बैधनाथ प्रसाद स०वि०स० श्री श्याम रजक स०वि०स० श्री राजू तिवारी स०वि०स० श्री संजय कुमार पाण्डेय स०वि०स० श्रीमती शालिनी मिश्रा स०वि०स० श्रीमती संगीता कुमारी स०वि०स० श्री प्रमोद कुमार सिन्हा स०वि०स० श्री पंकज कुमार मिश्र स०वि०स० श्री राजेश कुमार सिंह स०वि०स० श्री राजेश कुमार मंडल स०वि०स० श्री विनय बिहारी स०वि०स०	गोपालगंज के बंद पड़े सासामुसा चीनी मिल पर गन्ना किसानों का करीब 43 करोड़ एवं कर्मचारियों का 9.50 करोड़ रूपये बकाया है। इस मिल पर बैंक का बकाया करीब 68.40 करोड़ रूपये ऋण की वसूली हेतु राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, कोलकाता बेंच द्वारा परिसमापन प्रक्रिया में प्लांट एवं मशीनरी का 17.64 करोड़ रुपये में निविदा कर दी गई, जबकि मशीनरी लगभग 80% कारगर है। इस बीच एक निवेशक ने बैंक ऋण वापसी कर मिल को पुनः चालू करने का प्रस्ताव NCLT, कोलकाता को दिया है। निविदा प्राप्त कम्पनी मिल के मशीनरी को काटने का कार्य शीघ्रातिशीघ्र संपन्न करना चाहती है, जबकि कैबिनेट द्वारा गन्ना किसानों के बकाये राशि के भुगतान की स्वीकृति सशर्त दी गई है। मोतीहारी, गोपालगंज सहित अन्य जिलों में किसानों का बकाया राशि का भुगतान कराया जाय। अतः किसानों, कर्मचारियों एवं राज्य के औद्योगिक विकास के हित में सासामुसा चीनी मिल को पुनः चालू करने हेतु परिसमापन प्रक्रिया में तत्काल हस्तक्षेप करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	गन्ना उद्योग विभाग

(पूनम सिन्हा)
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०–ध्या०प्र०–21/2026 1024 /वि०स०, पटना, दिनांक– 21 जुलाई 2026 ई०।

प्रति :– माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमितेष रंजन)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०–ध्या०प्र०–21/2026 1024 /वि०स०, पटना, दिनांक– 21 जुलाई 2026 ई०।

प्रति :– माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमितेष रंजन)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०–ध्या०प्र०–21/2026 1024 /वि०स०, पटना, दिनांक–21 जुलाई 2026 ई०।

प्रति :– मुख्य सचिव, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार/ सचिव, बिहार विधान परिषद्/ महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय/संसदीय कार्य विभाग/कृषि विभाग/गन्ना उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमितेष रंजन)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०–ध्या०प्र०–21/2026 1024 /वि०स०, पटना, दिनांक– 21 जुलाई 2026 ई०।

प्रति :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

(अमितेष रंजन)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा पटना।